न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 08/2024 G.C.M.S. No. 2024/526 दर्ज दिनांक : 26.11.2024

प्रार्थीगण:

1. चतराराम पुत्र अनाजी उम्र वयस्क, जाति मेघवाल, निवासी इटन्दरा चारणान, तहसील रानी व जिला पाली।

बनाम

अप्रार्थीगण:

1. रम्बा पत्नि लालाजी उम्र वयस्क, जाति मेघवाल, निवासी इटन्दरा चारणान हाल निवास मेघवाल को वास विंगरला, तहसील रानी व जिला पाली।
2. हरिलता चौहान पत्नि घनश्याम जाति जटिया निवासी जोधपुर हाल निवासी इटन्दरा चारणान तहसील रानी जिला पाली।
3. वेनाराम पुत्र दलाराम जाति मेघवाल निवासी लापोद तहसील सुमेरपुर जिला पाली।
4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रानी जिला पाली।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 110/2015 बअनवान चतराराम बनाम रम्बा वगैरह में पारित आदेश दिनांक 27.10.2023 को अपास्त करने एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, श्री प्रवीण व्यास, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री अशोक अरोड़ा, श्री तरूण उपाध्याय, श्री सी.पी. वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 30.06.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 110/2015 बअनवान चतराराम बनाम रम्बा वगैरह में पारित आदेश दिनांक 27.10.2023 को अपास्त कर अपील को पुनः दर्ज कर नंबर पर लिये जाने बाबत पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलाण्ट ने श्रीमान् न्यायालय के समक्ष धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपील पेश की थीं। उक्त अपील को श्रीमान् न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10.2023 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया है। उक्त आदेश को अपास्त करवाने एवं अपील को पुनः दर्ज कर नम्बर पर लेकर सुनवाई करवाने हेतु आवेदन पेश कर रहा हैं। प्रकरण में अपीलाण्ट के पूर्व अधिवक्ता जगदीश जी प्रजापत ने अपीलाण्ट को कहा था कि हर पेशी पर तुम्हें उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

हर पेशी पर मैं उपस्थित रहूंगा। तुम्हारी आवश्कता होने पर तुम्हे बुला लूंगा। अपीलाण्ट ने अपने अधिवक्ता की बातों पर विश्वास किया एवं सोचा की अधिवक्ता न्यायालय में मुकदमा लड़ेंगे एवं मेरी आवश्यकता नहीं हैं। इस कारण से लम्बे समय तक अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं किया, न ही अधिवक्ता ने अपीलाण्ट को मुकदमे की कोई सूचना दी, हाल ही में कुछ दिन पूर्व अपीलाण्ट की खातेदारी कृषि भूमि पर कुछ लोग अवैध रूप से कब्जा करने आए तो अपीलाण्ट ने कब्जा करने से उन लोगों को रोका तो उन लोगों ने बताया कि रम्बा देवी ने उनको कृषि भूमि बेचाण की हैं। तब अपीलाण्ट ने कहा कि रम्बादेवी का इस कृषि भूमि में कोई हक, हकूक अधिकार नहीं हैं। रम्बादेवी व मेरे बीच में उपरोक्त वादग्रस्त भूमि को लेकर विवाद चल रहा है। जिसकी राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, पाली में अपील चल रही हैं। तब कृषि भूमि पर आये लोगों ने मुझ अपीलाण्ट को बताया कि उक्त अपील खारिज हो चुकी हैं। तब अपीलाण्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया। तब पूर्व में नियुक्त अधिवक्ता ने अपीलाण्ट को बताया कि उक्त अपील को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया है। तब दिनांक 30.09.2024 को अपीलाण्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर नकलों हेतु आवेदन पेश किया, जहां से दिनांक 16.10.2024 को नकले प्राप्त हुई व नकले प्राप्त होने पर उक्त प्रार्थना पत्र अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा हैं। अपीलाण्ट ईमानदारीपूर्वक मुकदमे को कण्टेस्ट करना चाहता है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अपीलांट की मंशा जानबूझकर न्यायालय में अनुपस्थित रहने की नहीं थीं। अपीलाण्ट के पूर्व अधिवक्ता ने अपीलाण्ट को कहा था कि आवश्यकता होने पर न्यायालय में बुलाउंगा एवं मैं स्वयं पेशियों पर उपस्थित रहूंगा। अपीलाण्ट के पूर्व अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं रहने के कारण उक्त अपील को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है। अधिवक्ता की गलती का दोष पक्षकार को नहीं दिया जाना चाहिए। अपीलाण्ट ईमानदारीपूर्वक मुकदमा लड़ना चाहता हैं। इसके साथ ही अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया जाता है तो अपीलाण्ट के हक, हकूक अधिकार प्रभावित होंगे एवं अपीलाण्ट न्याय से वंचित रह जाएगा। विधि की मंशा है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अधिवक्ता की गलती का दोष पक्षकार को नहीं दिया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 110/2015 बअनवान चतराराम बनाम रंबा वगैरह अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जैरकार थीं। जिसे न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 27.10.2023 द्वारा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.10.2024 को प्रस्तुत किया। विलंबकाल माफ करने के लिए प्रार्थी द्वारा धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट प्रार्थी को पूर्व अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत द्वारा यह कहा गया कि हर पेशी पर तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं हैं। हर पेशी पर मैं उपस्थित रहूंगा। तुम्हारी आवश्यकता होने पर मैं बुला लूंगा। अपीलाण्ट के पूर्व अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं रहने के कारण उक्त अपील को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है। अधिवक्ता की गलती का दोष पक्षकार को नहीं दिया जाना चाहिए। अपीलाण्ट ईमानदारीपूर्वक मुकदमा लड़ना चाहता हैं। इसके साथ ही अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया जाता है तो अपीलाण्ट के हक, हकूक अधिकार प्रभावित होंगे एवं अपीलाण्ट न्याय से वंचित रह जाएगा। विधि की मंशा है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अधिवक्ता की गलती का दोष पक्षकार को नहीं दिया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।
2. अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अपनी गलती छुपाने के लिए अपने अधिवक्ता पर झूठे आरोप लगाए हैं। अपीलांट जानबूझकर प्रकरण में उपस्थित नहीं हो रहा था तथा अपीलांट के अधिवक्ता भी अपील में पैरवी करने हेतु जानबूझकर उपस्थित नहीं हो रहे थें। अपीलांट द्वारा स्वच्छ हाथों से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतः म्याद बाहर होने से खारिज फरमावें।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 110/2015 में नियत तारीख पेशी दिनांक 27.10.2023 को अधिवक्ता अपीलांट व अपीलांट के अनुपस्थित रहने पर अपील अपीलांट अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई। हमारे विनम्र मत में चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की गैर मौजूदगी में ही पारित हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में आदेश पारित किये जाने की तिथि से अपीलांट को इसकी जानकारी होने की धारणा नहीं की जा सकती। साथ ही चूंकि विलंबकाल दीर्घ विलंब नहीं हैं तथा प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी, प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं कर गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

उभयपक्षकारान को सुना जाना आवश्यक है। प्रकरण में विलंब अपीलांट की लापरवाही व उदासीनता से घटित होना साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए प्रार्थना पत्र अंदर म्याद शुमार किया जाता है।

4. अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं हैं। यह स्वीकृत स्थिति है कि नियत दिनांक को अपीलांट व अधिवक्ता अपीलांट द्वारा पैरवी हेतु जानबूझकर उपस्थित नहीं होने के कारण अपील खारिज की गई थीं। अपीलांट द्वारा अपने अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने का कोई कारण प्रकट नहीं किया है तथा इस संबंध में अपीलांट द्वारा अपने अधिवक्ता से पूछने का भी कोई प्रयास नहीं किया है। प्रकरण की आदेशिका के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अपीलांट अपील में स्वयं कभी भी उपस्थित नहीं हो रहा था। अपीलांट की लापरवाही व उदासीनता के कारण अपील खारिज की गई हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

5. हमारे विनम्र मत में चूंकि प्रार्थी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि नियत तारीख पेशी पर उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित होने से अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हुई हैं। अधिवक्ता की लापरवाही व उदासीनता के लिए पक्षकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अपीलांट सद्भाविक रूप से प्रकरण में कंटेस्ट करना चाहता है। हमारे विनम्र मत में प्रकरण का निर्णयन गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए तथा किसी भी दृष्टि से पैरोकार की उदासीनता के लिए पक्षकार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पैरवी के लिए अपने अधिवक्ता को नियुक्त कर दिया गया था। अतः प्रत्येक तारीख पेशी पर पक्षकार के स्वयं उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः ऐसी स्थिति में नियत तारीख पेशी दिनांक 27.10.2023 को प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण अपीलांट की अनुपस्थिति युक्तियुक्त व सद्भाविक है। अतः प्रार्थना पत्र सारवान व स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 110/2015 में पारित आदेश दिनांक 27.10.2023 को अपास्त करते हुए प्रार्थी की मूल अपील संख्या 110/2015 बअनवान चतराराम बनाम रंबा वगैरह अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचारणार्थ पुनः ग्रहण किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 110/2015 में पारित आदेश दिनांक 27.10.2023 को अपास्त करते हुए प्रार्थी की मूल अपील संख्या 110/2015 बअनवान चतराराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जालो

Scanned with OKEN Scanner

बनाम रंबा वगैरह अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचारणार्थ पुनः ग्रहण की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि मूल अपील के साथ संलग्न की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.06.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली